

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-1)  
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

प्रत्यय अमृत,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

विषय:- सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल योजना" के लिए राज्य के सभी पंचायतों में बार्ड स्तर पर जलापूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले मोटर पम्प हेतु विद्युत सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ता के न्यूनतम दर रु० 2.65 (दो रुपये पैंसठ पैसे) प्रति यूनिट पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों को इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर आकलित विद्युत खपत 450 मिलियन यूनिट पर 211.50 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपये अनुदान की स्वीकृति के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये का अतिरिक्त अनुदान बिहार स्टेट पॉवर (हो) कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-2466 दिनांक-10.09.2018 के आलोक में सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल योजना" के लिए राज्य के सभी पंचायतों में बार्ड स्तर पर जलापूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले मोटर पम्प हेतु विद्युत सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ता के न्यूनतम दर रु० 2.65 (दो रुपये पैंसठ पैसे) प्रति यूनिट पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों को इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर आकलित विद्युत खपत 450 मिलियन यूनिट पर 211.50 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपये अनुदान की स्वीकृति के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये का अतिरिक्त अनुदान बिहार स्टेट पॉवर (हो) कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग संख्या-10, बजट मुख्य शीर्ष "2801-बिजली, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता" उपशीर्ष-0004-बिहार स्टेट पावर (हो) कं० लि०, विपत्र कोड 10-28018019000004, विषय शीर्ष-33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय शीर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
41870000000.00	34475000000.00	500000000.00	34975000000.00	6895000000.00

3- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

6. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो) लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या-10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-1)

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-1)।4

/पटना, दिनांक-01-02-19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।